पानी में जा रहा है
बड़ी सिंचाई योजनाओं का पैसा

सुनील

आंकड़ों से पता लगता है कि देश में नहरों से सिंचित क्षेत्रफल 1991-92 में 178 लाख हैक्टर था लेकिन वर्ष 2003-04 में घटकर 146 लाख हैक्टर रह गया। इस अवधि में देश में कुल सिंचित क्षेत्रफल तो बढ़ा है, लेकिन उसमें मुख्य योगदान भूजल यानी कुओं व नलकूपों का है।

देश के किसानों को सिंचाई मुहैया कराने के लिए हमारी सरकारें बड़े-बड़े बांध बनाती रही हैं। विस्थापन की विभीषिका और पर्यावरण के नुकसान को लेकर ये बांध विवादों का केंद्र बन गए हैं। और तो और, ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इन विशाल परियोजनाओं से देश को सिंचाई का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, प्रांतों से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर, देश में कुल सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े जारी करता है। पिछले दिनों जारी आंकड़ों से पता लगता है कि देश में नहरों से सिंचित क्षेत्रफल बढ़ने की बजाय घट रहा है। वर्ष 1991-92 में 178 लाख हैक्टर भूमि में नहरों से सिंचाई हुई थी, लेकिन वर्ष 2003-04 में यह क्षेत्रफल घटकर 146 लाख हैक्टर रह गया। यानी 14 वर्षों में नहरी सिंचाई के रकबे में 32 लाख हैक्टर की कमी आई है। इस अवधि में देश में कुल सिंचित क्षेत्रफल तो बढ़ा है, लेकिन उसमें मुख्य योगदान भूजल यानी कुओं व नलकूपों का है। कुल सिंचित क्षेत्रफल में भी 1998-99 के बाद बढ़ोतरी बंद हो गई है और कमी आई है।

विडंबना यह है कि इसी अवधि में हमारी सरकारों ने बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 99,610 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय का दावा है कि इस अवधि में 210 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुईं तथा उनसे सिंचाई प्रारंभ हुई। यही नहीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 1,65,900 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। यदि कृषि मंत्रालय के उपरोक्त आंकड़े सही हैं, तो इसका अर्थ है कि इतने विशाल खर्च के बाद भी नहरों से सिंचाई का कुल रकबा बढ़ने की बजाय घट रहा है।

इस पहेली को सुलझाने के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा। ज़्यादातर सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों में उनके फायदों और सिंचाई रकबे को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है, ताकि वे आकर्षक दिखें, आसानी से मंज़ूर हो जाएं। किंतु वास्तव में कहीं भी उतनी जमीन सिंचित नहीं होती है। कई परियोजनाओं में बांध तो बन गए, लेकिन नहरें बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सिंचाई बहुत कम हो रही है। नर्मदा पर बरगी बांध तो 1990 में बन गया था किंतु नहरें आज तक पूरी नहीं बन पाई हैं। फिर पुराने बांधों में बहुत तेज़ी से गाद भरती जा रही है और उनकी क्षमता में काफी कमी आई है। नहरों की मरम्मत और रख-रखाव भी नहीं हो पा रहा है। कई जगह

बांधों के कमांड क्षेत्र में जल भराव, दलदलीकरण और लवणीकरण के कारण भी ज़मीन खेती लायक नहीं रह गई है। कई बांधों के पानी का एक हिस्सा शहरी जल आपूर्ति या औद्योगिक उपयोग जैसे अन्य उपयोगों में लेने से भी सिंचाई का रकबा कम हो गया है। उड़ीसा में महानदी पर बने हीराकुड बांध से उद्योगों को पानी देने के करार पर तो किसानों का काफी बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है।

नए-नए बांध बनने के बावजूद उनसे होने वाली सिंचाई का कुल क्षेत्र कम होता जा रहा है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में बड़े बांधों से सिंचित क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से भी कम पाया गया है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से अपेक्षित पानी न मिल पाने के कारण हर जगह झगड़े व आंदोलन खड़े हो रहे हैं। कहीं तो किसान आपस में लड़ रहे हैं। पिछले दिनों, मध्यप्रदेश की तवा परियोजना में एक सप्ताह में ही किसानों के बीच सर-फुटौव्वल की कई घटनाएं सामने आईं। कहीं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के दमन के शिकार हो रहे हैं। राजस्थान नहर के श्रीगंगानगर-बीकानेर क्षेत्र में दो वर्ष से यही हो रहा है। राजस्थान में ही बीसलपुर बांध के क्षेत्र में भी पानी के मुद्दे पर दो वर्ष पहले किसानों पर गोली चली है। कहीं पर दो प्रांत आमने-सामने आ जाते हैं, जैसे कावेरी विवाद में तमिलनाडु, कर्नाटक; सतलज के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा तथा चंबल के पानी को लेकर मध्यप्रदेश व राजस्थान।

कुल मिलाकर नतीजा यह हो रहा है कि नए-नए बांध बनने के बावजूद उनसे होने वाली सिंचाई का कुल क्षेत्र कम होता जा रहा है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बहुत महंगी भी होती हैं। स्वयं योजना आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रति हैक्टर लागत छोटी सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में दस गुनी होती है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर ही ज़्यादा ध्यान केन्द्रित करने का नतीजा यह हुआ है कि देश में सिंचाई का बहुत विस्तार नहीं हो पाया है। पचपन साल के योजनाबद्ध विकास के बावजूद, देश की कुल खेती की ज़मीन का मात्र 40 प्रतिशत ही सिंचित हो पाया है। इसमें भी बड़े बांधों का हिस्सा एक-तिहाई से भी कम है। दूसरे शब्दों में, आज़ादी के बाद 2,00,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि और उपलब्ध सिंचाई बजट का 75-80 प्रतिशत बड़े बांधों पर खर्च करके देश की मात्र 12 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई मिल पाई है। चूंकि बड़े बांधों से सिंचित भूमि की उत्पादकता भी अन्य सिंचित भूमि के मुकाबले कम होती है, इसलिए देश के खाद्यान्न उत्पादन में बड़े बांधों से सिंचित क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से भी कम पाया गया है। यदि यह हिसाब लगाया जाए कि बड़े बांधों से सिंचित न होने की दशा में भी इस भूमि से कुछ खाद्यान्न तो पैदा होता ही और बड़े बांधों में डूबी भूमि का, नहरों के निर्माण में गई भूमि व दलदलीकृत भूमि का भी हिसाब लगाया जाए, तो देश के अन्न उत्पादन में बड़े बांधों का योगदान और कम हो जाएगा।

तालिका : भारत में विभिन्न स्रोतों से सिंचित भूमि (लाख हैक्टर में)

वर्ष	नहरें	नलकूप	अन्य कुएं	तालाब	अन्य स्रोत	योग
1991-92	177.91	151.68	108.69	29.91	30.48	498.67
1995-96	171.42	179.37	118.60	31.11	34.60	535.10
1998-99	175.55	206.28	130.50	29.44	32.67	574.44
2001-02	162.41	251.62	98.18	23.49	25.94	561.64
2003-04	146.05	256.77	95.13	24.40	27.07	549.42

स्रोतः 'डेम्स, रिवर्स एण्ड पीपुल' नामक बुलेटिन के सितंबर-अक्टूबर 2007 के अंक में उद्धृत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े

यह स्थिति देश में बड़े बांधों और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर एक गंभीर पुनर्विचार की मांग करती है। लेकिन इस अनुभव से कोई सबक सीखे बगैर हमारी सरकारें आंख मूंदकर बड़े बांधों में पैसा झोंक रही हैं। वर्ष 1996 में भारत सरकार ने 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' शुरू किया, तो उसका भी ज़्यादातर पैसा बड़ी सिंचाई योजनाओं में ही लगाया गया। अप्रैल 1996 से मार्च 2004 तक इसके तहत 14,669 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिंचित क्षेत्र के आंकड़े बताते हैं कि इस खर्च और इस कार्यक्रम का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। अब सरकार ने भारत निर्माण योजना शुरू की है, जिसके तहत 2005-09 की अवधि में 1 करोड़ हैक्टर नया सिंचित क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका भी वही हश्र होगा।

छोटी सिंचाई, छोटे तालाबों, वॉटरशेड विकास, कुओं आदि पर देश के संसाधन लगेंगे, तभी इस देश में सही मायने में सिंचाई का विस्तार होगा, किसान की मदद होगी और देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जल संसाधन विकास पर एक कार्य समूह केंद्रीय जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में बना है। इस कार्य समूह ने भी इस योजना में 1,53,000 करोड़ रुपए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा उसके दस प्रतिशत से भी कम (मात्र 13,500 करोड़ रुपए) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए आवंटन की सिफारिश की है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की इस असफलता से भारत के मौजूदा कृषि संकट को भी समझने में मदद मिलती है। भारत के कृषि उत्पादन में ठहराव तथा किसानों की आत्महत्याओं के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सरकार इसे देखने से इंकार कर रही है। जून 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदर्भ के आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जिस 3750 करोड़ रुपए के पेकेज की घोषणा की, उसमें 2177 करोड़ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए ही था। अचरज की बात यह है कि इसी महाराष्ट्र में रालेगांव सिद्धी तथा अन्य जगहों पर वॉटरशेड विकास के बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं, उन पर प्रधानमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। गलत निदान और गलत दवाई पर आधारित इस पैकेज का जो नतीजा होना था, वही हुआ। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि बढ़ गया।

ऐसा लगता है कि भारत में इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजनेताओं की ताकतवर लॉबी है जो तमाम विपरीत अनुभवों एवं प्रमाणों के बावजूद बड़े बांधों व बड़ी सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने और उसके लिए अरबों-खरबों रुपया स्वीकृत कराने में सफल रहती है। इससे उनकी मोटी कमाई होती है। इस खेल में विश्व बैंक भी एक खलनायक रहा है, जो अपनी परियोजनाओं की मदद से इस देश में बड़े बांधों को बढ़ावा देता रहा है। इस समय देश के सात प्रांतों में विश्व बैंक के कर्ज वाली सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। निहित स्वार्थों के इस चक्रव्यूह से निकलकर छोटी सिंचाई, छोटे तालाबों, वॉटरशेड विकास, कुओं आदि पर देश के संसाधन लगेंगे, तभी इस देश में सही मायने में सिंचाई का विस्तार होगा, किसान की मदद होगी और देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा। शायद अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी शुमाकर के 'स्माल इज़ ब्यूटीफुल' और गांधी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाने की ज़रूरत है। ***(स्रोत फीचर्स)***